कमांक : जविप्रा / पीआरएन–दक्षिण–। / 2021 / डी– 1649 दिनांकः– 12/03/2021

नेचर हॉम्स बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स एल.एल.पी.
जरिये पार्टनर श्री अतुल अरोड़ा एवं श्रीमती रितु अरोड़ा,
पता– 814,815, आठवी मंजिल, सिगनेचर टॉवर,
डी.सी.– 2, लालकोठी, जयपुर, (राजस्थान) 302015

विषय – मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना "कीर्ती सागर –ए", राजस्व ग्राम – बदरवास, तहसील व जिला जयपुर के भूखण्ड संख्या 30 क्षेत्रफल 904.44 वर्गगज़ (756.22 वर्ग मीटर) का आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ– आपका ऑनलाईन आवेदन संख्या JDA/2020-21/BPAS/374 दिनांकः 27.02.2021 के क्रम में।

आपका ऑनलाईन आवेदन संख्या JDA/2020-21/BPAS/374 दिनांकः 27.02.2021 के क्रम में किये गये निवेदन अनुसार मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना "कीर्ती सागर ए", राजस्व ग्राम – बदरवास, तहसील व जिला जयपुर के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 904.44 वर्गगज (756.22 वर्ग मीटर) पर स्टिल्ट + 24 मीटर ऊंचाई के आवासीय फ्लैट्स के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 05.03.2021 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 05.03.2021 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आवासीय फ्लैट्स भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा **दिनांक 11.09.2015 (लीजडीड जारी दिनांक) से 07 वर्ष** तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र जविप्रा भवन अधिनियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी मे आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा–15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगया जायेगा जिसमें संबंधित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलिफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
6. जविप्रा भवन विनियम 2020 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगा।

7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
8. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग मे लेगा।
10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध मे सूचना प्राधिकरण को पूर्व मे देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
11. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
12. भवन निर्माण के समय सामग्री से आस–पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवायें जावें।
13. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना मे भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुंनिश्चित किया जावें।
14. जविप्रा भवन विनयम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
15. वर्षा जल संग्रहण हेतु-वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
16. ऊपर वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्नः– अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट (04 मानचित्र)

उपायुक्त
पीआरएन–दक्षिण –।
जविप्रा–जयपुर

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी-जोन पीआरएन दक्षिण प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता जोन पीआरएन दक्षिण प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
पीआरएन–दक्षिण –।
जविप्रा–जयपुर

अनुमोदित

SHEET NO.01

SITE PLAN & STILT FLOOR PLAN & CALCULATION TABLE

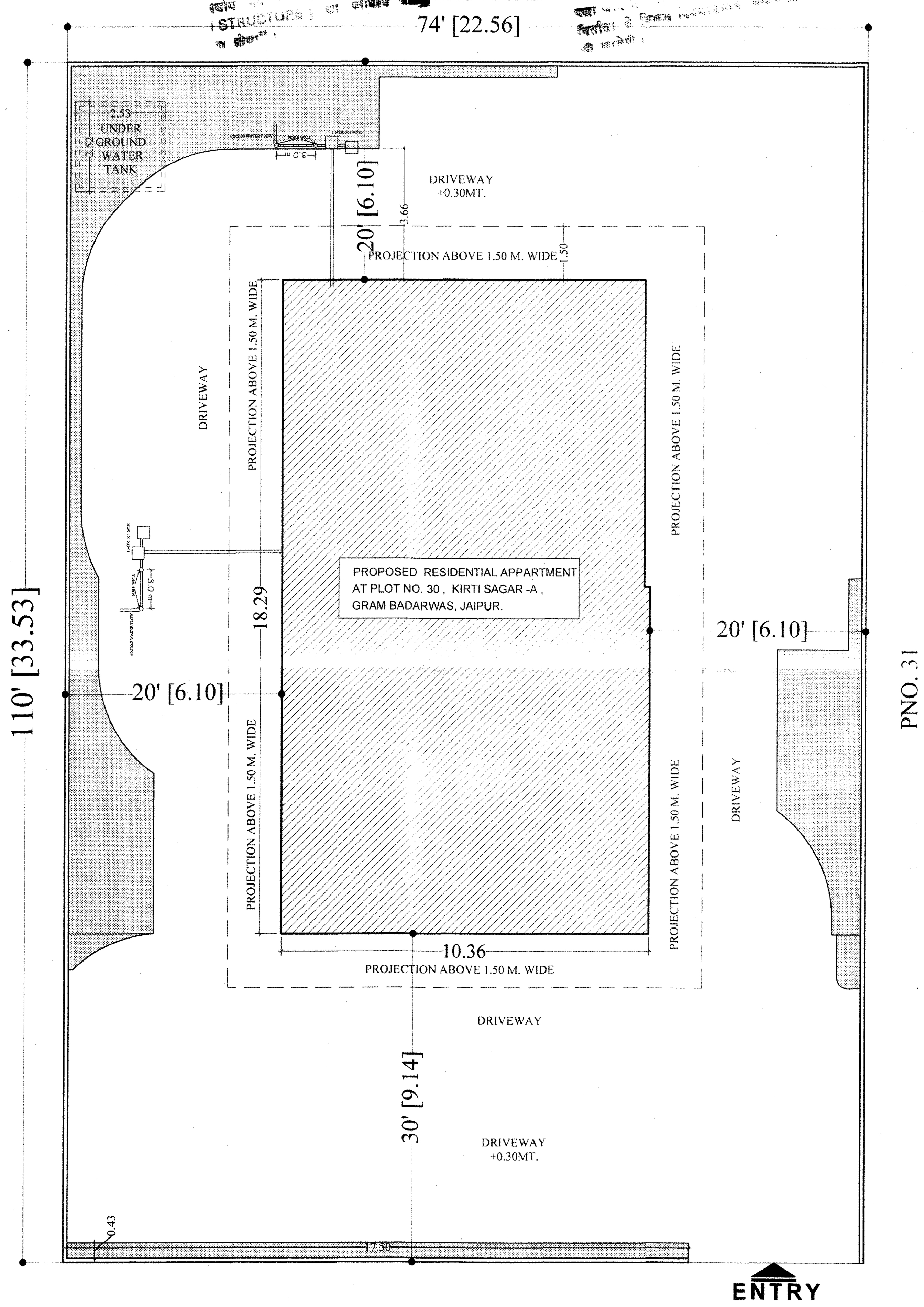

SITE -PLAN

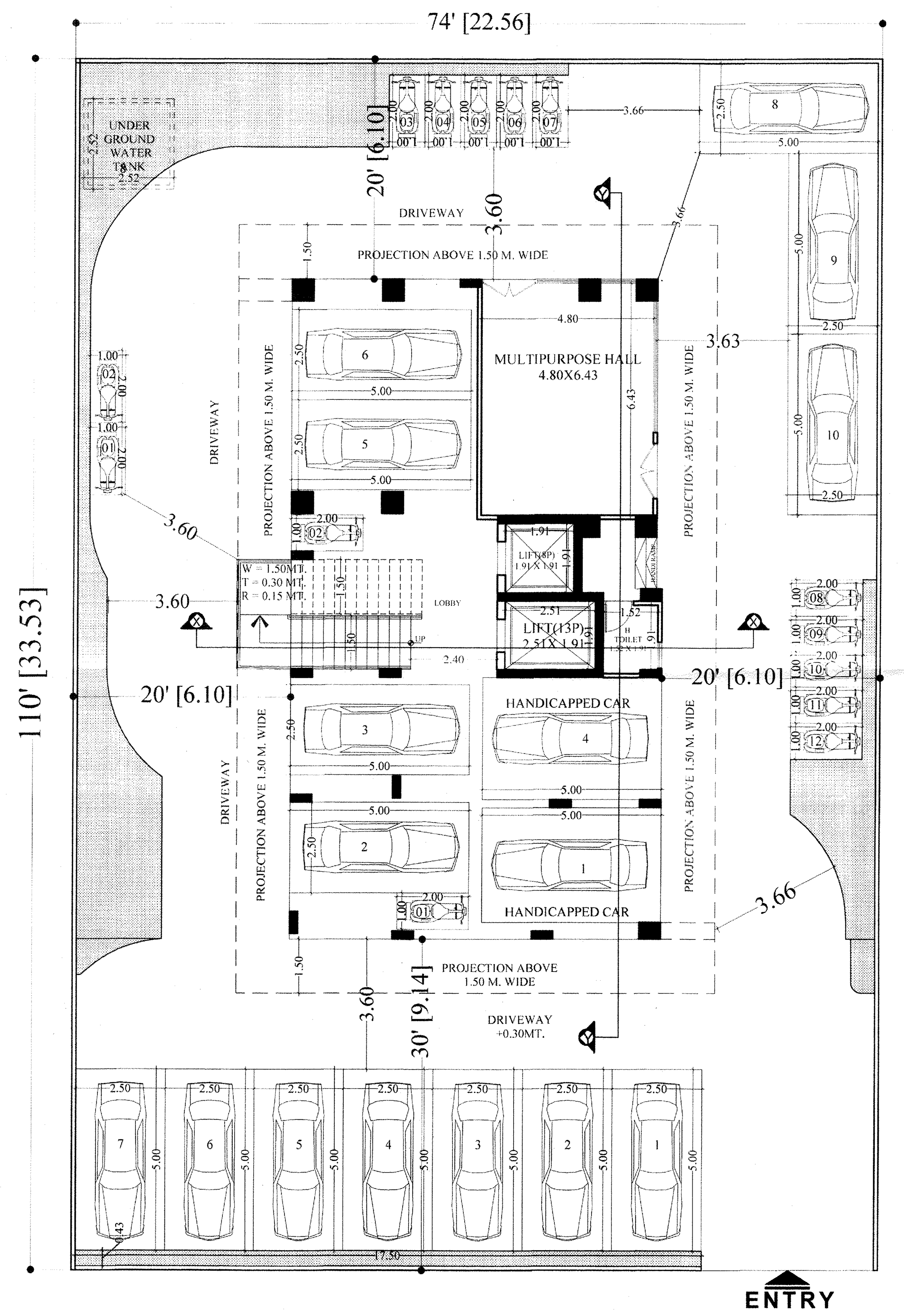

STILT FLOOR PLAN

PLOT AREA - 904.44 SQ.YDS. OR 756.22 SQ.MT.
STANDARD B.A.R = 756.22 X 2 = 1512.44 SQ.MT.
ACHIEVED B.A.R = 2134.91 SQ.MT. (2.82)
PERMISSIBLE COVERAGE =WITHIN SETBACK
ACHIVED COVERAGE = 264.72 SQ.MT. (35.00%)

PLOT AREA - 904.44 SQ.YDS. OR 756.22 SQ.MT.

Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT-UP SQ.MT.	FIRE-ESCAPE SQ.MT.	LIFT -WELL SQ.MT.	B.A.R. sq.mt.
1.	STILT	189.52	13.74	8.43	36.75
2.	FIRST	284.44	13.74	8.43	262.27
3.	SECOND	284.44	13.74	8.43	262.27
4.	THIRD	284.44	13.74	8.43	262.27
5.	FOURTH	284.44	13.74	8.43	262.27
6.	FIFTH	284.44	13.74	8.43	262.27
7.	SIXTH	284.44	13.74	8.43	262.27
8.	SEVENTH	284.44	13.74	8.43	262.27
9.	EIGHTH	284.44	13.74	8.43	262.27
10.	TERRACE	26.02	-	-	-
11.	TOTAL	2491.06	123.66	750.87	2134.91

TOTAL B.A.R AREA = 2134.91 SQ.MT. (2.82)

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{BAR ACHIEVED}}{115} = \frac{2134.91}{115}$ = 18.56 E.C.U

TOTAL REQUIRED PARKING = 18.56 E.C.U
10 % EXTRA VISITOR PARKING = 18.56 X 1.10 = 20.41 E.C.U

PARKING PROVIDED =
CAR PARK IN OPEN AREA = 10
CAR PARK IN STILT AREA = 06
TOTAL CAR PARKING = 16 E.C.U.

SCOOTER PARK IN STILT AREA = 02
SCOOTER PARK IN STILT AREA = 13
TOTAL SCOOTER PARKING = 14 (4.66 E.C.U) SAY

TOTAL PARKING PROVIDED = 16+4.66 = 20.66 E.C.U.

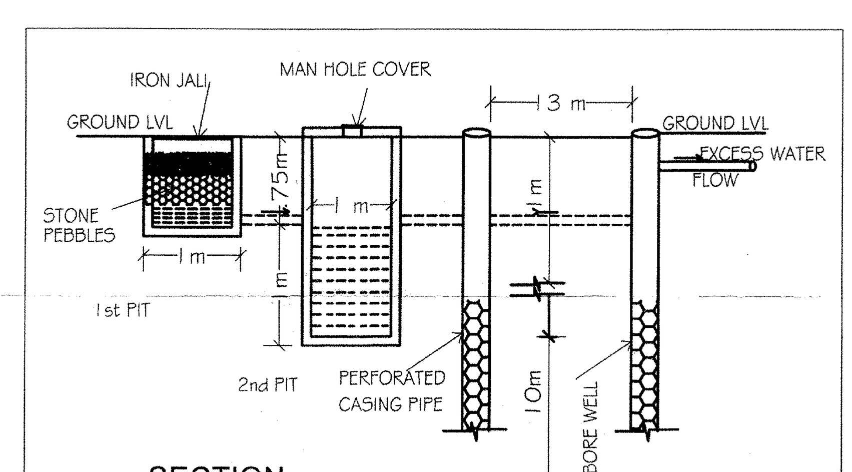

SECTION

HARVESTING STRUCTURE

DRAWING TITLE :-

SITE PLAN & STILT FLOOR PLAN & CALCULATION TABLE

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT AT PLOT NO. 30 , KIRTI SAGAR -A GRAM - BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

Ritu Arora

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक
जोन–18
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

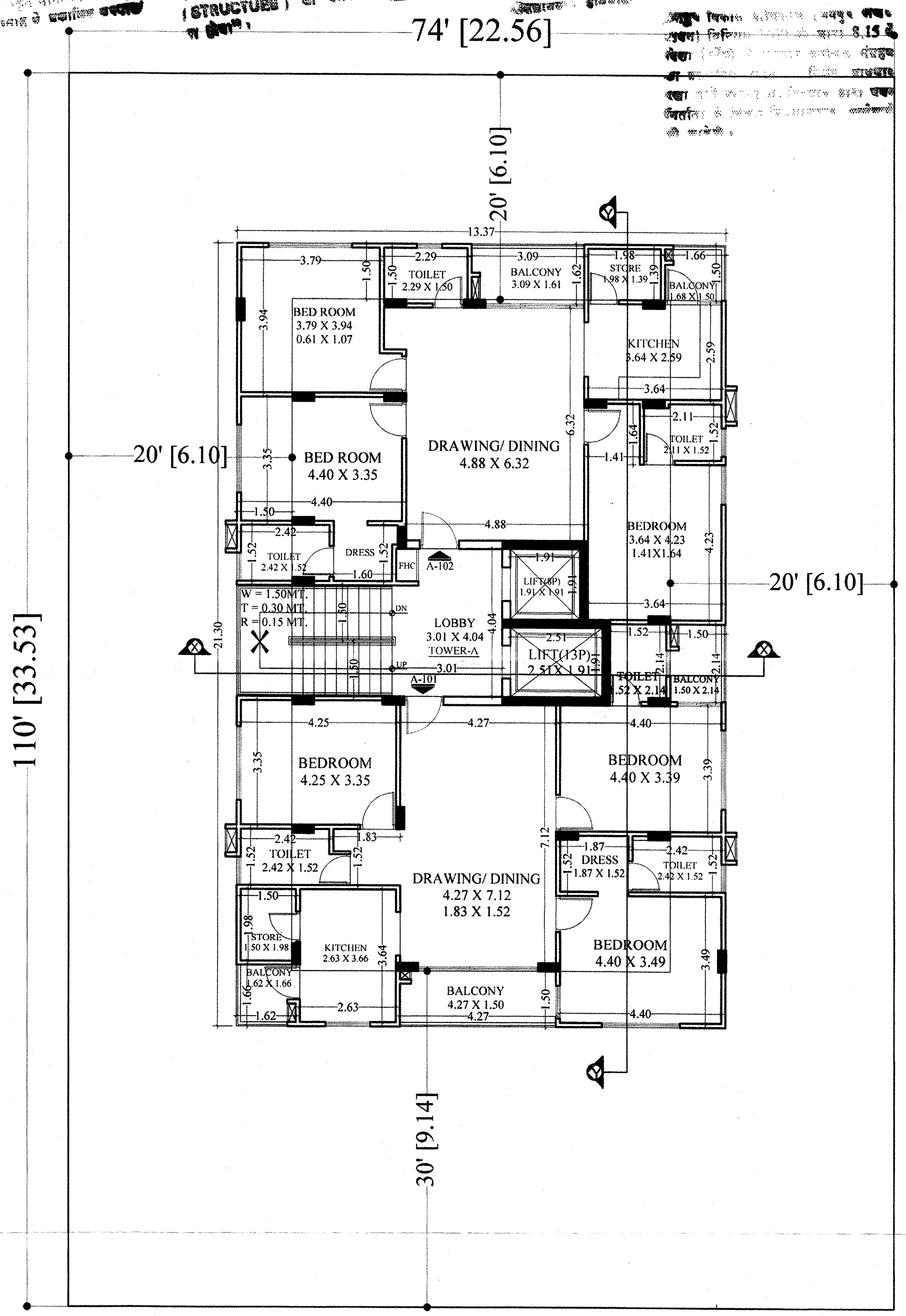

TYPICAL FLOOR PLAN
(FIRST TO 8TH FLOOR PLAN

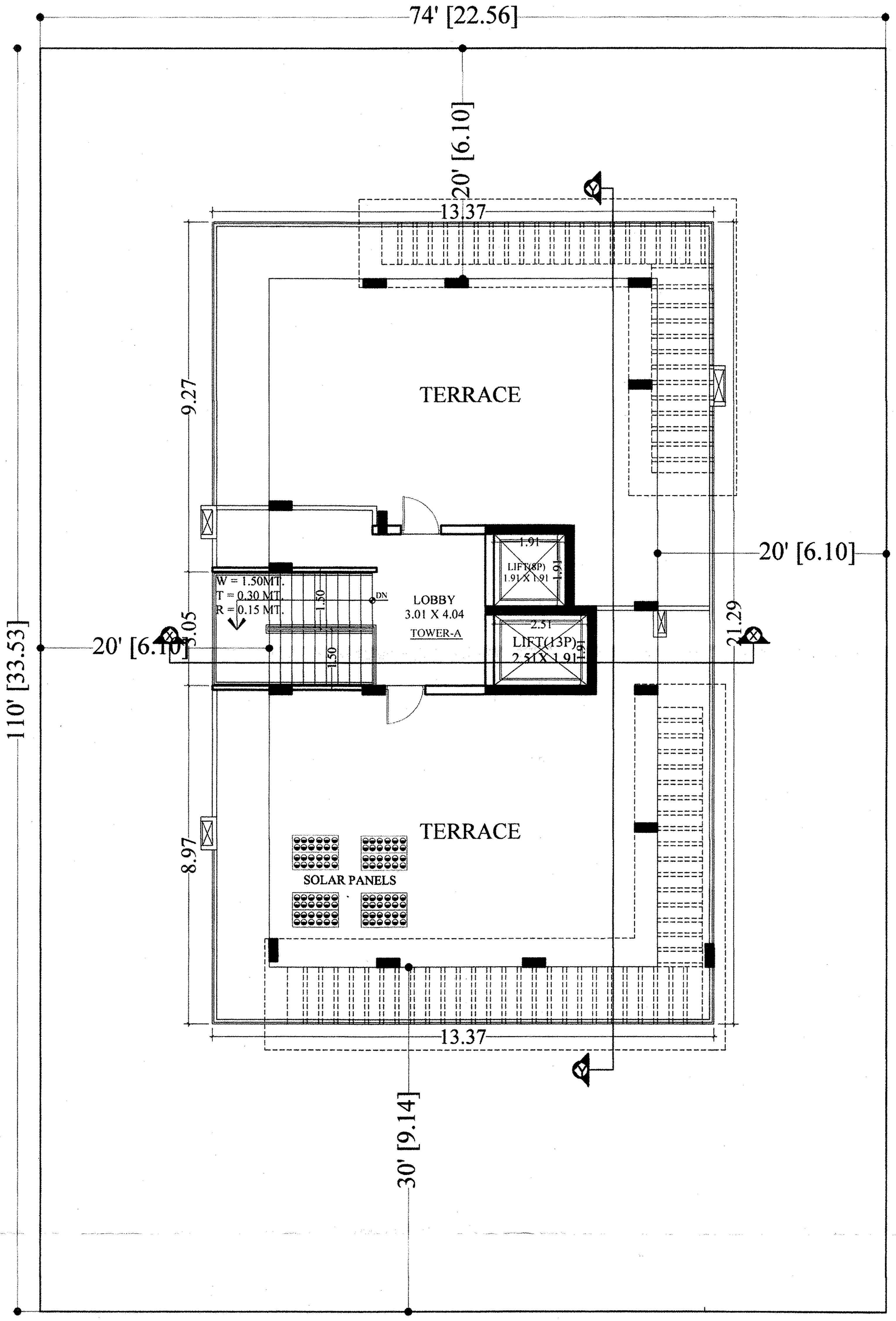

TERRACE FLOOR PLAN

SHEET NO.02

TYPICAL (FIRST TO 8TH FLOOR PLAN)
& TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित

DRAWING TITLE :-
TYPICAL (FIRST TO 8TH FLOOR PLAN)
& TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT
AT PLOT NO. 30 , KIRTI SAGAR -A
GRAM BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS
124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377

SCALE 1:100	NORTH POINT

Riti Arora

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT

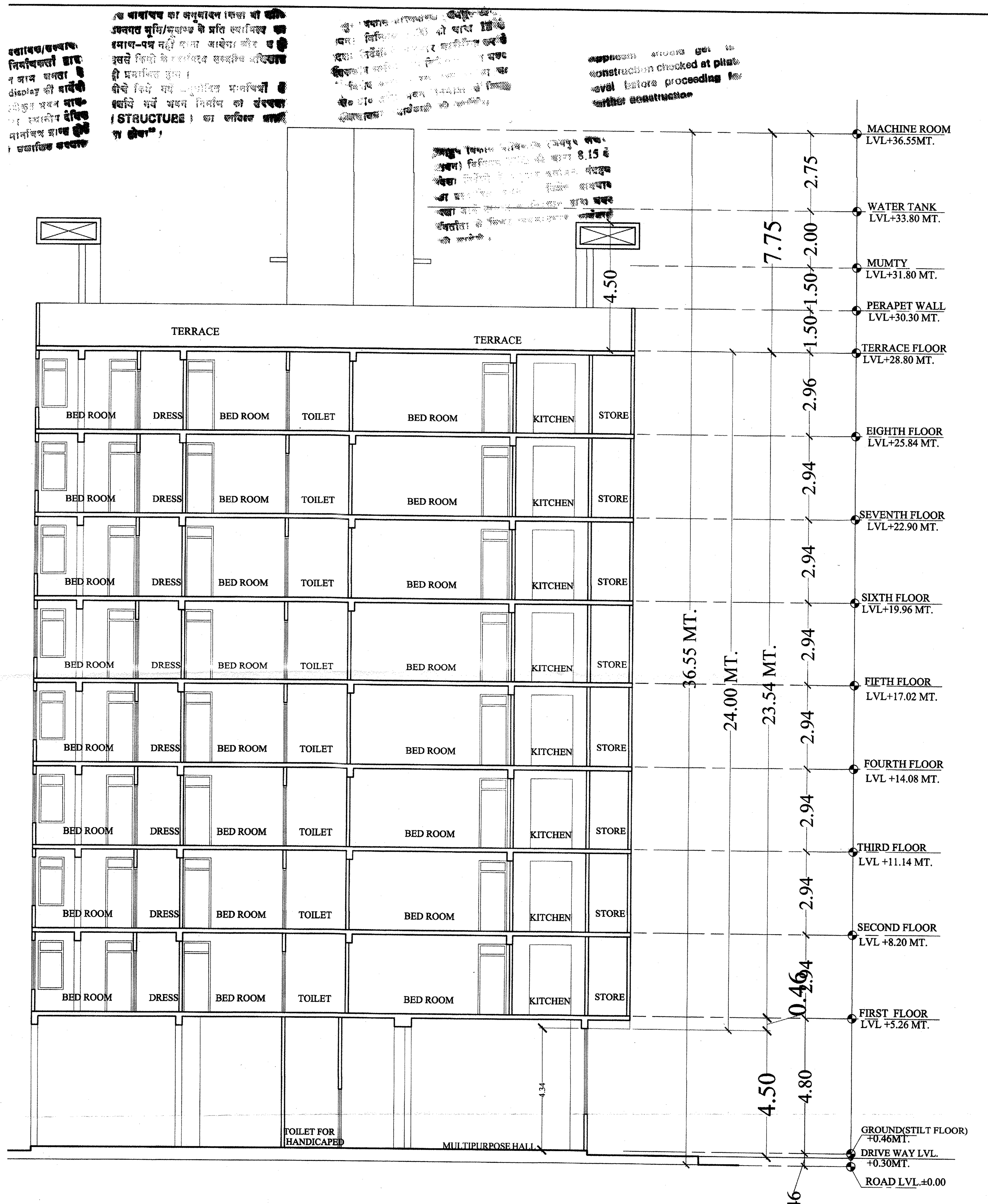

SECTION AT Y-Y

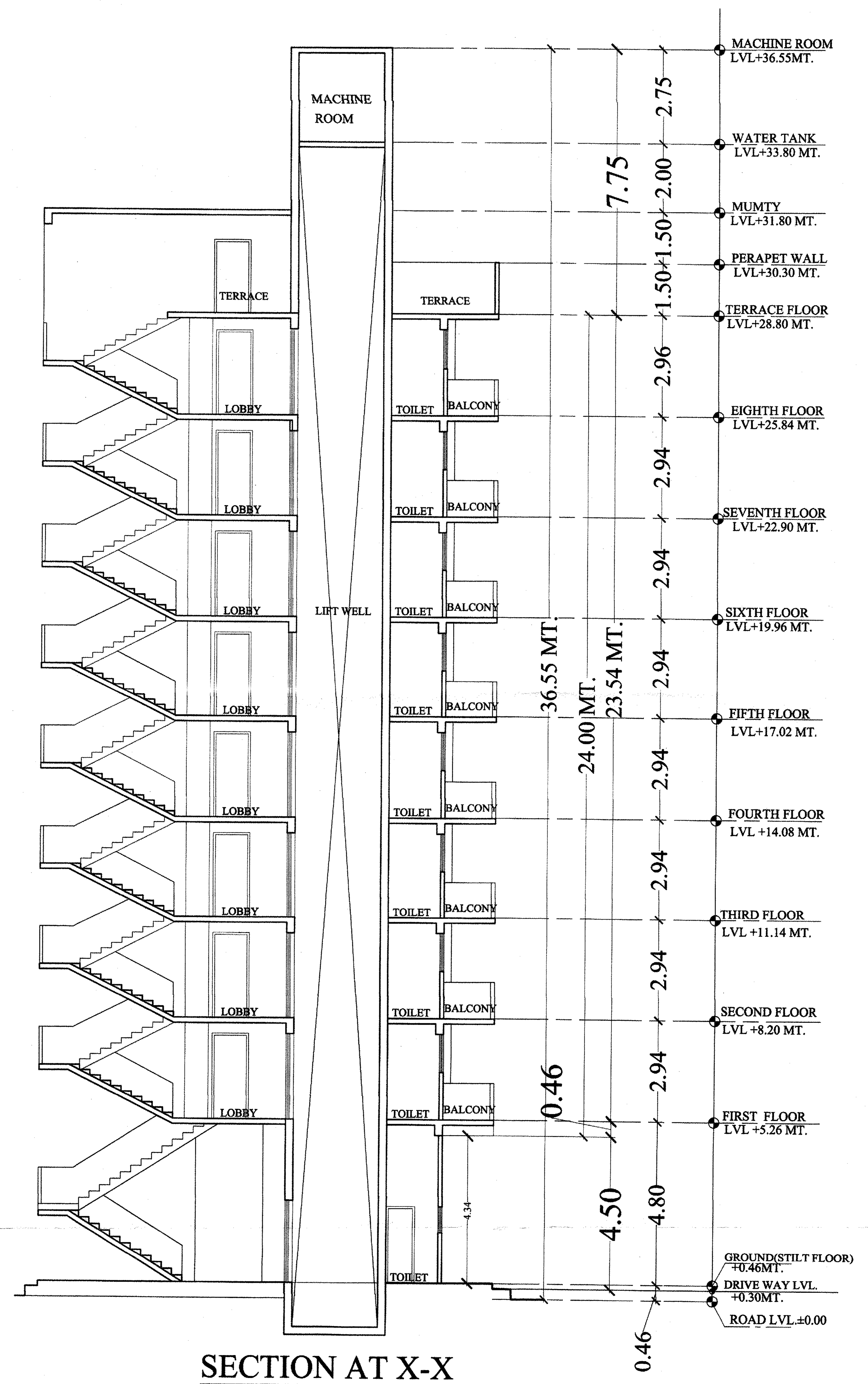

SECTION AT X-X

सहायक नगर नियोजक
जोन–18
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उपायुक्त
जोन–पीआरएन
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHEET NO.03

SECTIONS

अनुमोदित

DRAWING TITLE :-

SECTIONS

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT AT PLOT NO. 30 , KIRTI SAGAR -A , GRAM - BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100	NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT

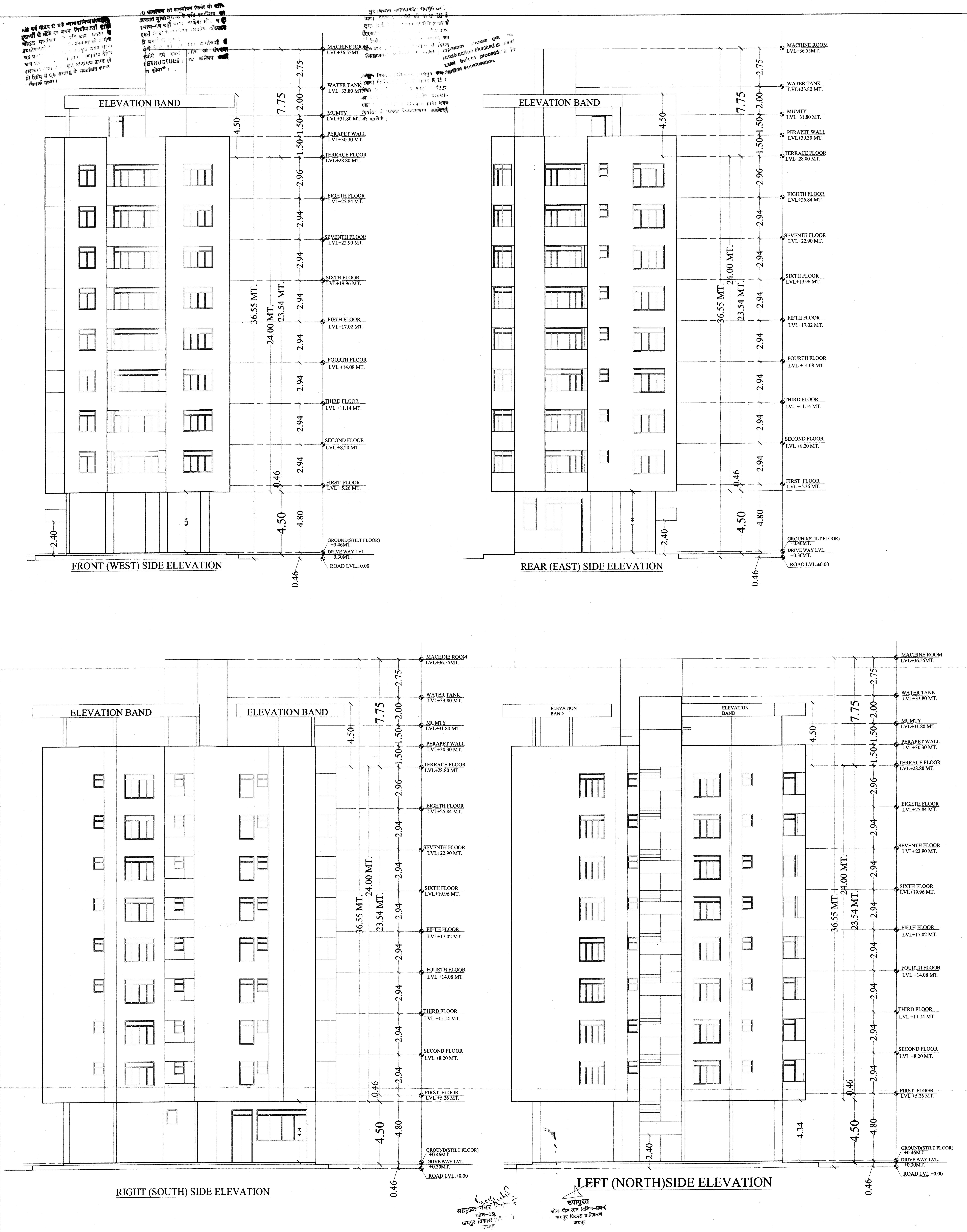

SHEET NO.04

ELEVATIONS

अनुमोदित

DRAWING TITLE :-

ELEVATIONS

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT AT PLOT NO. 30 , KIRTI SAGAR -A , GRAM - BADARWAS , JAIPUR.

ideas

ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

क्रमांक : जविप्रा/पीआरएन–दक्षिण–।/2021/डी– 1648 दिनांकः– 12/03/2021

नेचर हॉम्स बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स एल.एल.पी.
जरिये पार्टनर श्री अतुल अरोड़ा एवं श्रीमती रितु अरोड़ा,
पता– 814,815, आठवी मंजिल, सिगनेचर टॉवर,
डी.सी.– 2, लालकोठी, जयपुर, (राजस्थान) 302015

विषय – मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना "कीर्ती सागर –ए", राजस्व ग्राम – बदरवास, तहसील व जिला जयपुर के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 904.44 वर्गगज (756.22 वर्ग मीटर) का आवासीय (फ्लैट्स) भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

संदर्भ– आपका ऑनलाईन आवेदन संख्या JDA/2020-21/BPAS/374 दिनांकः 27.02.2021 के क्रम में।

आपका ऑनलाईन आवेदन संख्या JDA/2020-21/BPAS/374 दिनांकः 27.02.2021 के क्रम में किये गये निवेदन अनुसार मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 की योजना "कीर्ती सागर ए", राजस्व ग्राम – बदरवास, तहसील व जिला जयपुर के भूखण्ड संख्या 31 क्षेत्रफल 904.44 वर्गगज (756.22 वर्ग मीटर) पर स्टिल्ट + 24 मीटर ऊंचाई के आवासीय फ्लैट्स के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 06.03.2021 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.03. 2021 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आवासीय फ्लैट्स भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की गई हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा **दिनांक 26.11.2015 (लीजडीड जारी दिनांक) से 07 वर्ष तक प्रभावी हैं।**
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीविज्ञ का कर्त्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र जविप्रा भवन अधिनियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय –समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी मे आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा–15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें संबंधित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलिफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
6. जविप्रा भवन विनियम 2020 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगा।

7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
8. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग मे लेगा।
10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध मे सूचना प्राधिकरण को पूर्व मे देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
11. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
12. भवन निर्माण के समय सामग्री से आस–पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों और पर्दे लगवायें जावें।
13. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना मे भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।
14. जविप्रा भवन विनयम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
15. वर्षा जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
16. ऊपर वर्णित शर्तो एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्नः– अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट (04 मानचित्र)

उपायुक्त
पीआरएन–दक्षिण –।
जविप्रा–जयपुर

प्रतिलिपी :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी जोन पीआरएन दक्षिण प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक / कनिष्ठ अभियन्ता जोन पीआरएन दक्षिण प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त
पीआरएन–दक्षिण –।
जविप्रा–जयपुर

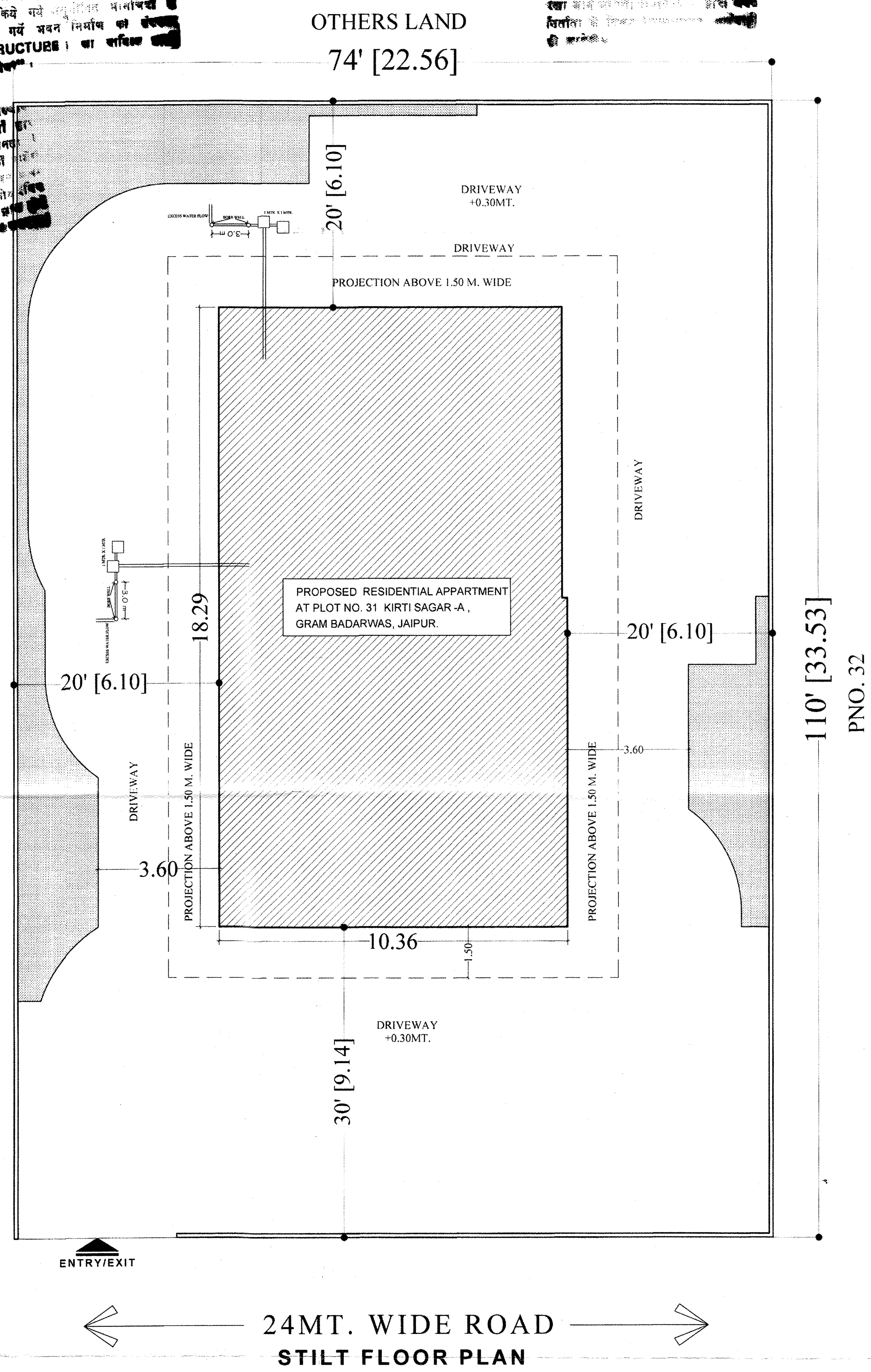

STILT FLOOR PLAN

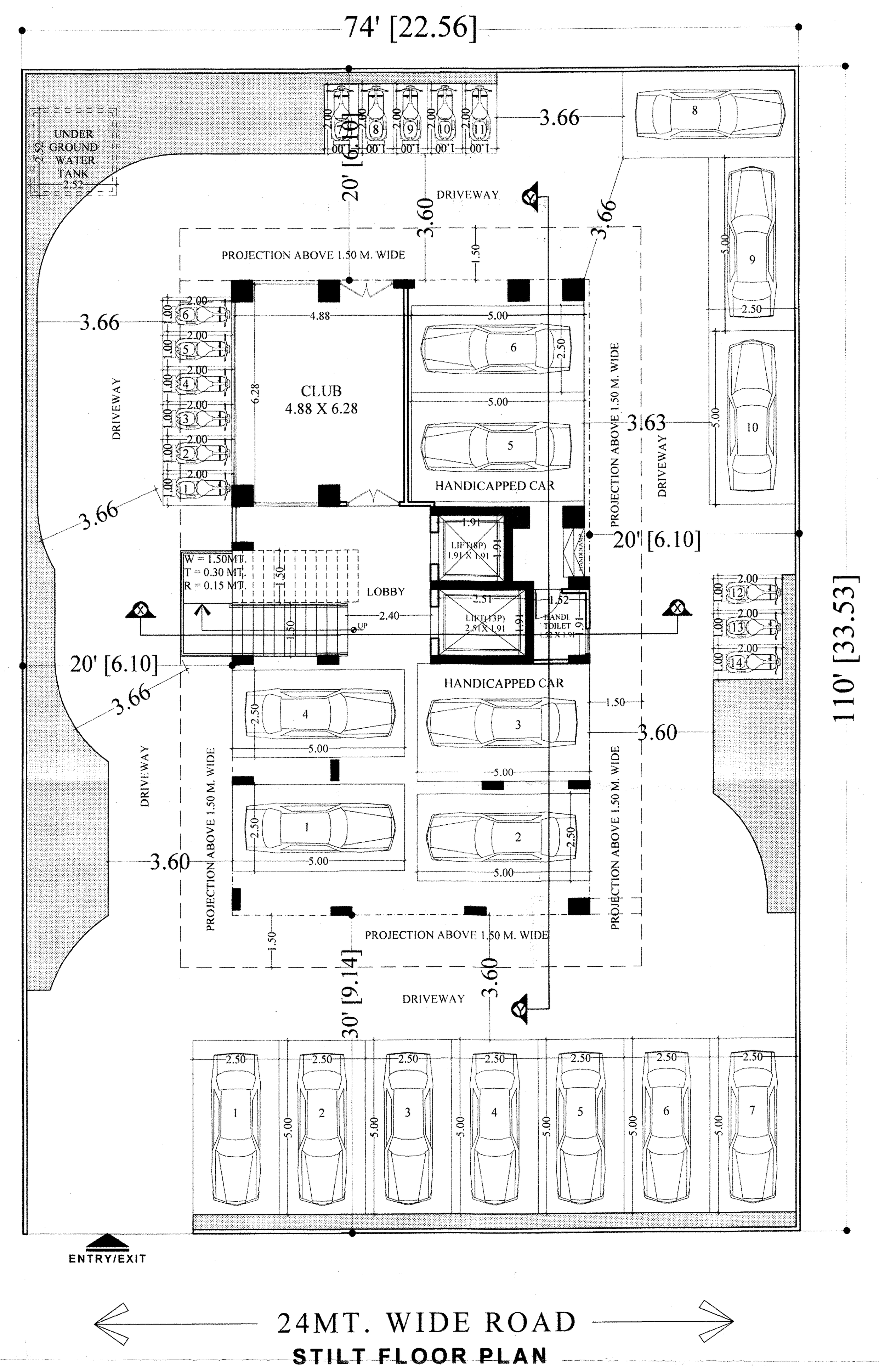

STILT FLOOR PLAN

PLOT AREA - 904.44 SQ.YDS. OR 756.22 SQ.MT.
STANDARD B.A.R = 756.22 X 2 = 1512.44 SQ.MT.
ACHIEVED B.A.R = 2134.91 SQ.MT. (2.82)
PERMISSIBLE COVERAGE =WITHIN SETBACK
ACHIVED COVERAGE = 264.72 SQ.MT. (35.00%)

PLOT AREA - 904.44 SQ.YDS. OR 756.22 SQ.MT.

Sr. No.	FLOORS	GROSS BUILT-UP SQ.MT.	FIRE-ESCAPE SQ.MT.	LIFT -WELL SQ.MT.	B.A.R. sq.mt.
1.	STILT	189.52	13.74	8.43	36.75
2.	FIRST	284.44	13.74	8.43	262.27
3.	SECOND	284.44	13.74	8.43	262.27
4.	THIRD	284.44	13.74	8.43	262.27
5.	FOURTH	284.44	13.74	8.43	262.27
6.	FIFTH	284.44	13.74	8.43	262.27
7.	SIXTH	284.44	13.74	8.43	262.27
8.	SEVENTH	284.44	13.74	8.43	262.27
9.	EIGHTH	284.44	13.74	8.43	262.27
10.	TERRACE	26.02	-	-	-
11.	TOTAL	2491.06	123.66	750.87	2134.91

TOTAL B.A.R AREA = 2134.91 SQ.MT. (2.82)

PARKING CALCULATIONS:-

NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING $\frac{\text{BAR ACHIEVED}}{115} = \frac{2134.91}{115}$ = 18.56 E.C.U

TOTAL REQUIRED PARKING = 18.56 E.C.U
10 % EXTRA VISITOR PARKING = 18.56 X 1.10 = 20.41 E.C.U

PARKING PROVIDED =
CAR PARK IN OPEN AREA = 10
CAR PARK IN STILT AREA = 06
TOTAL CAR PARKING = 16 E.C.U.

SCOOTER PARK IN STILT AREA = 01
SCOOTER PARK IN STILT AREA = 13
TOTAL SCOOTER PARKING = 14 (4.66 E.C.U) SAY

TOTAL PARKING PROVIDED = 16+4.66 = 20.66 E.C.U.

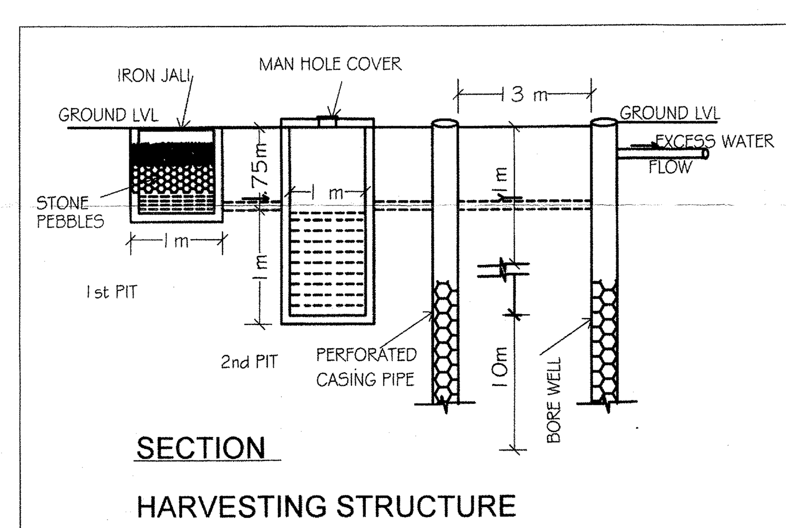

SECTION
HARVESTING STRUCTURE

SHEET NO.01

SITE PLAN & STILT FLOOR PLAN & CALCULATION TABLE

DRAWING TITLE :-
SITE PLAN & STILT FLOOR PLAN & CALCULATION TABLE

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT AT PLOT NO. 31 , KIRTI SAGAR -A GRAM - BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

OWNER

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030
ARCHITECT

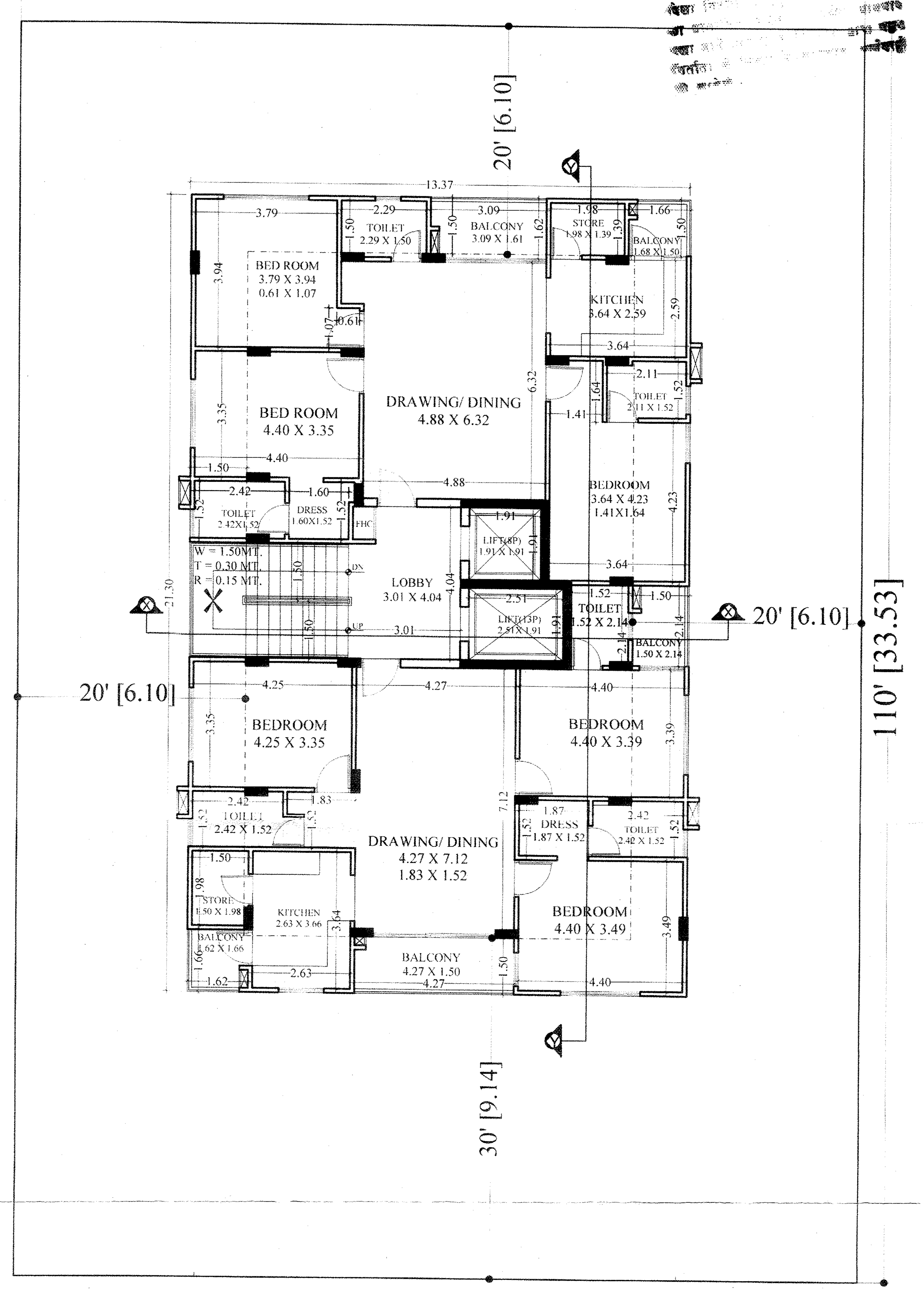

24MT. WIDE ROAD

TYPICAL FLOOR PLAN (FIRST TO 8TH FLOOR PLAN)

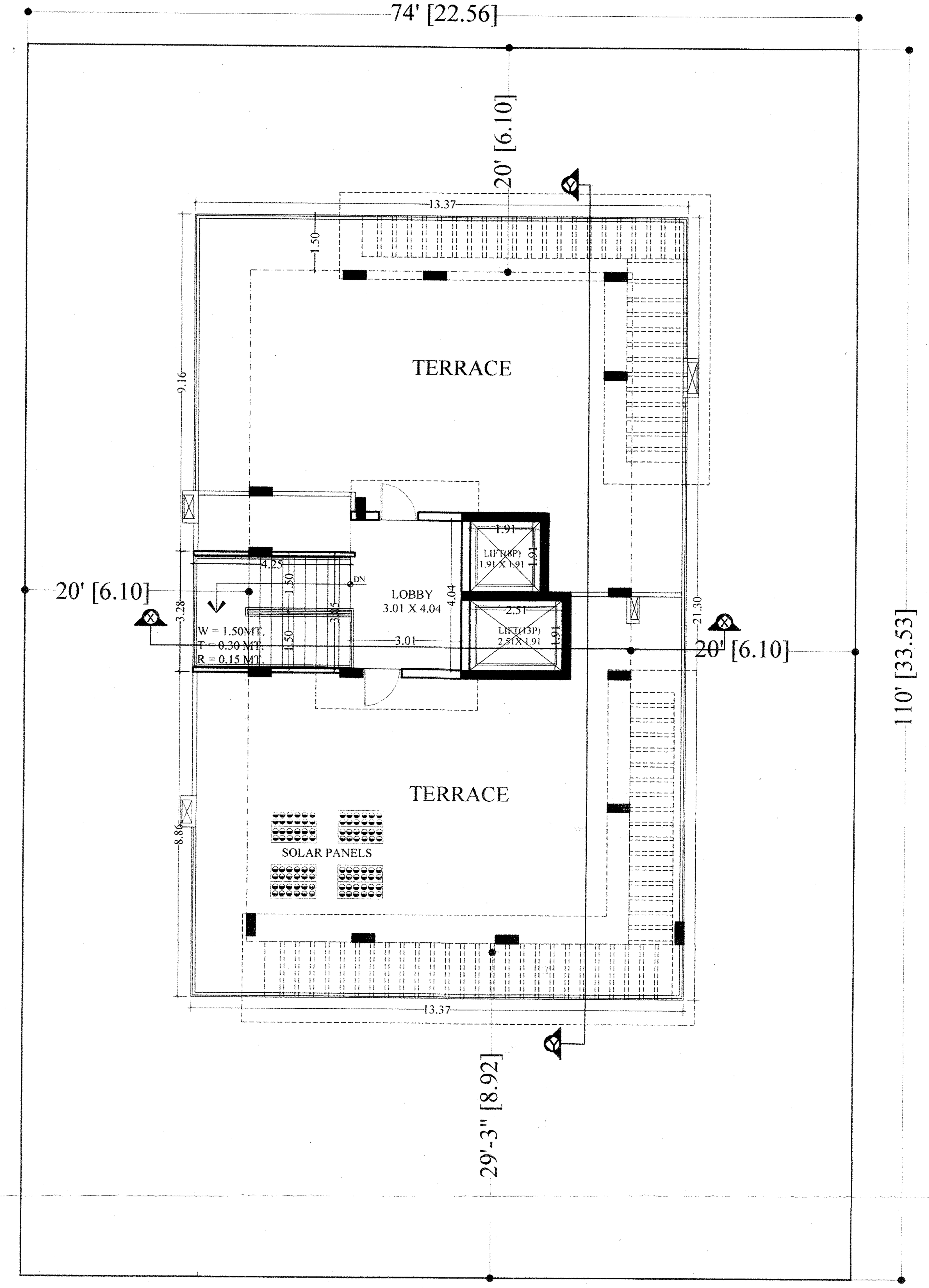

24MT. WIDE ROAD

TERRACE FLOOR PLAN

जोन-पीआरएन (दक्षिण-पश्चिम)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHEET NO.02

TYPICAL (FIRST TO 8TH FLOOR PLAN) & TERRACE FLOOR PLAN

अनुमोदित

DRAWING TITLE :-
TYPICAL (FIRST TO 8TH FLOOR PLAN) & TERRACE FLOOR PLAN

PROJECT TITLE :-
PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT AT PLOT NO. 31 , KIRTI SAGAR -A GRAM BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER | ARCHITECT

applicant should get construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

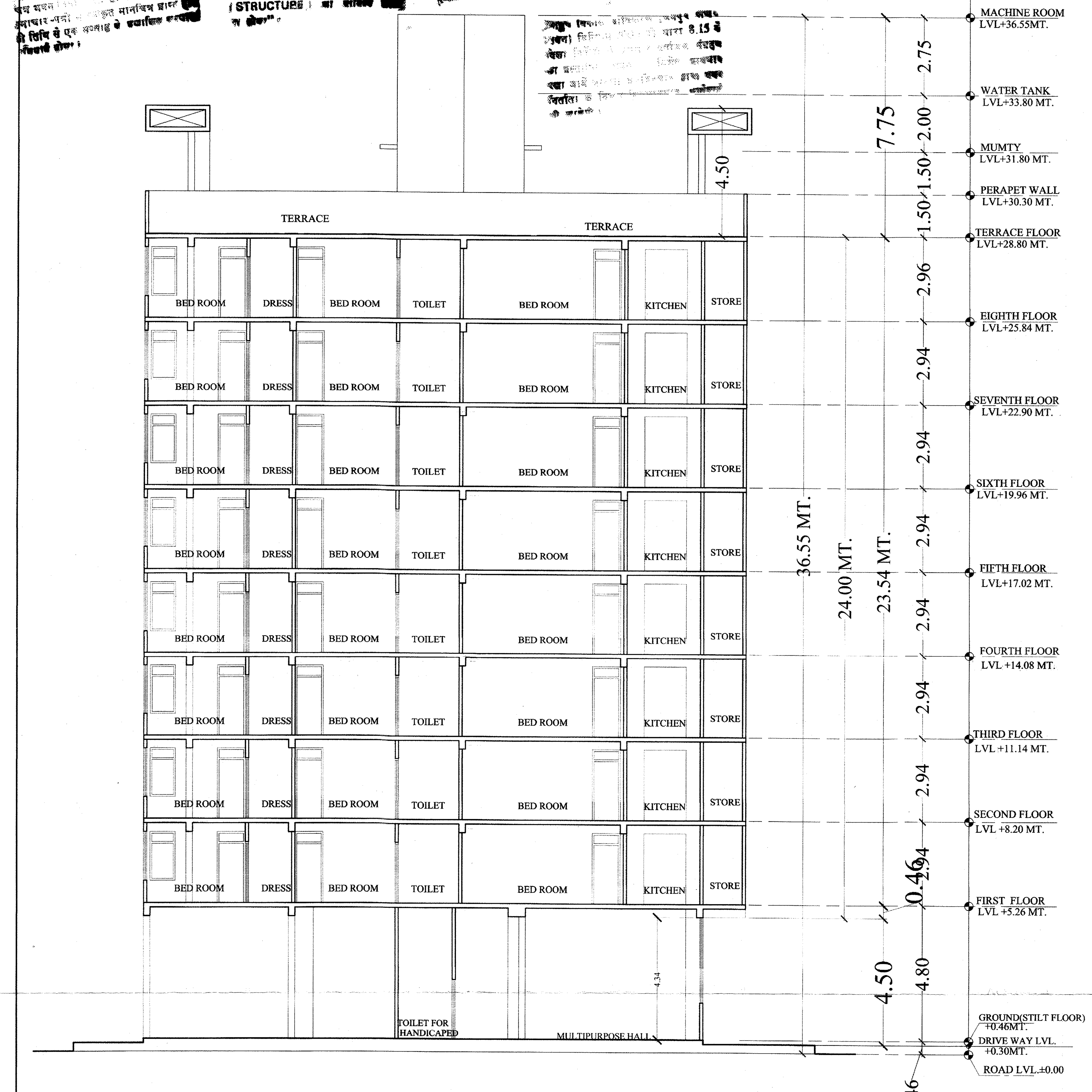

SECTION AT Y-Y

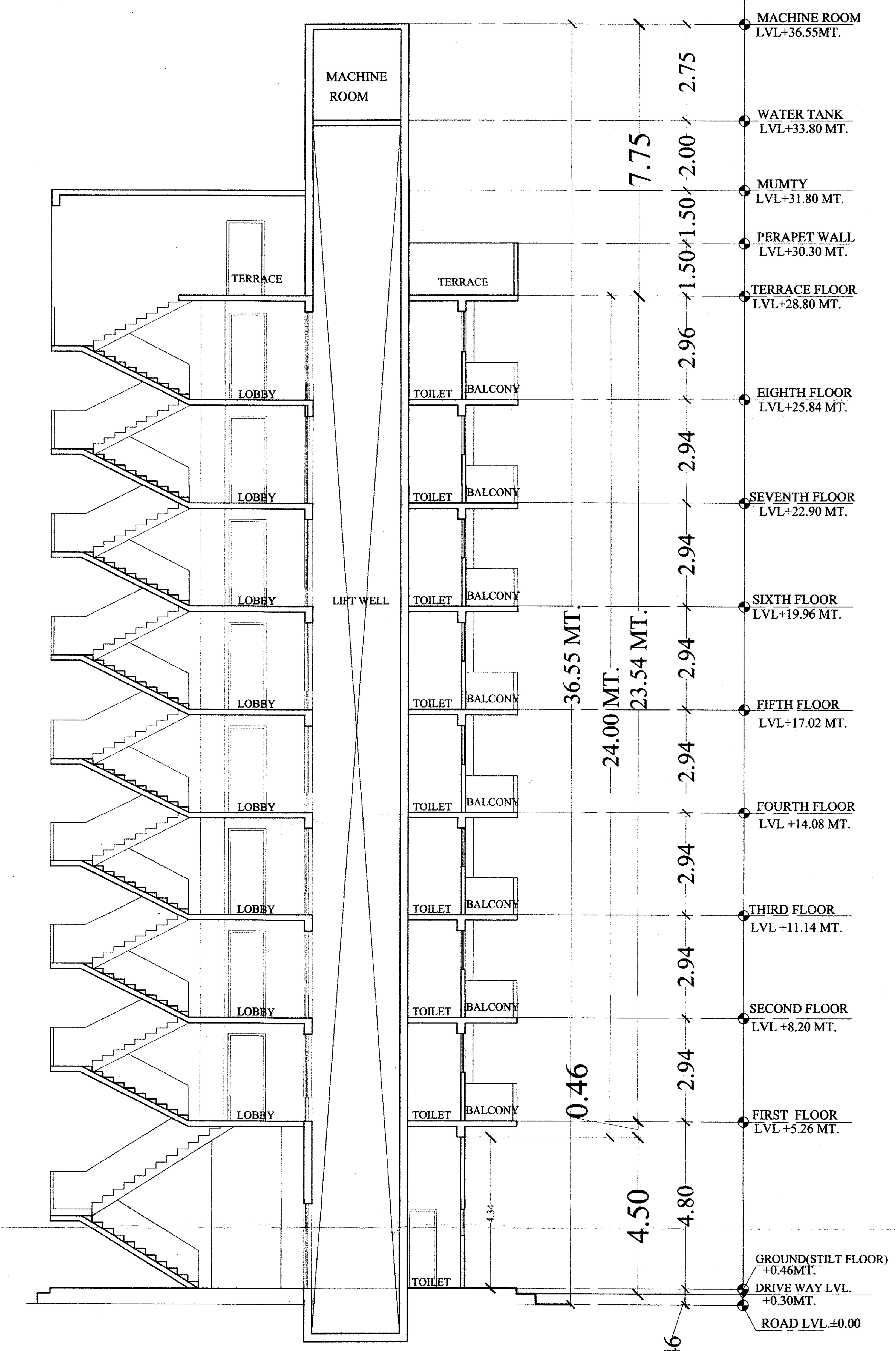

SECTION AT X-X

SHEET NO.03

SECTIONS

अनुमोदित

DRAWING TITLE :-

SECTIONS

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT
AT PLOT NO. 31 , KIRTI SAGAR -A
GRAM BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

Ritu Arora

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHEET NO.04

ELEVATIONS

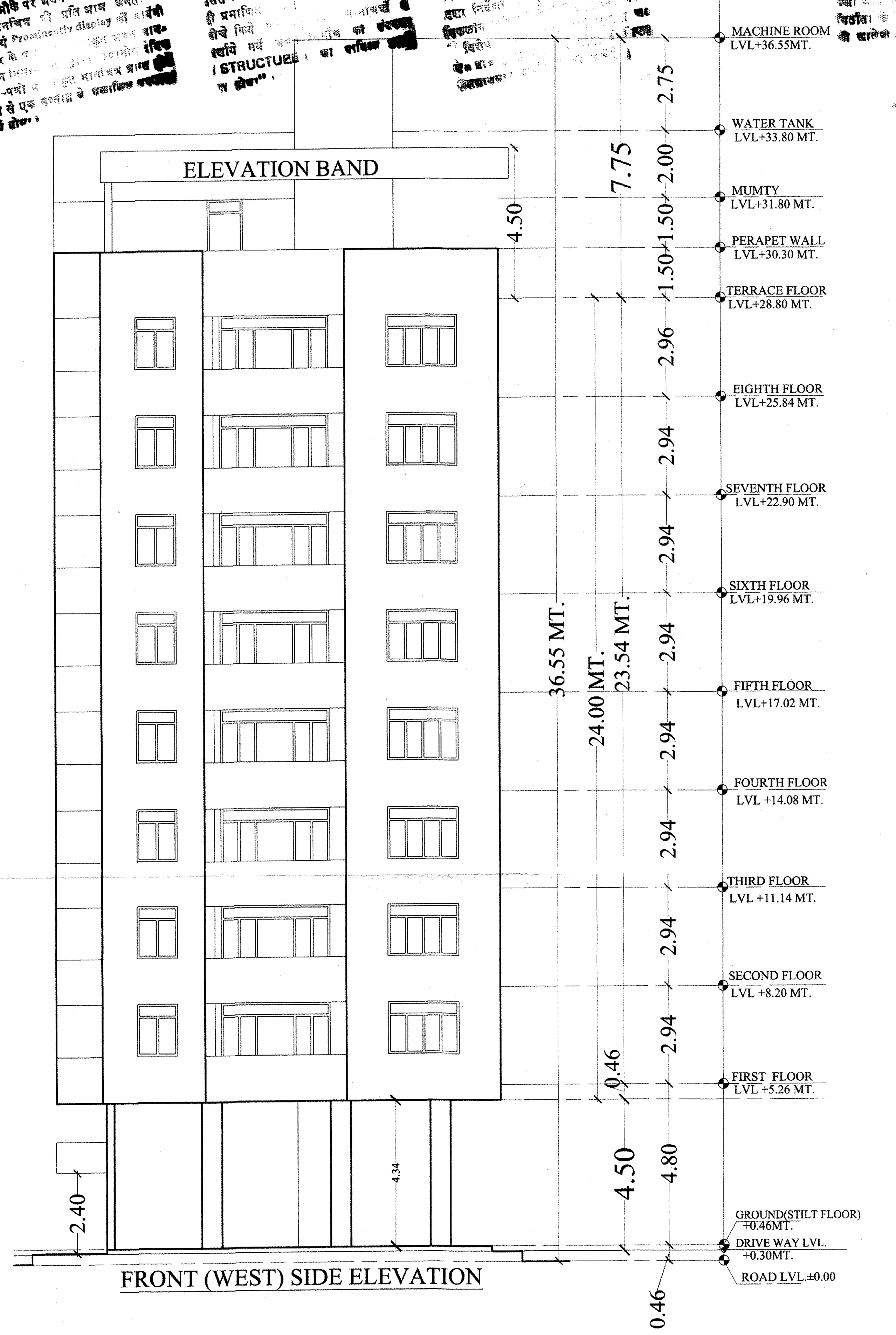

FRONT (WEST) SIDE ELEVATION

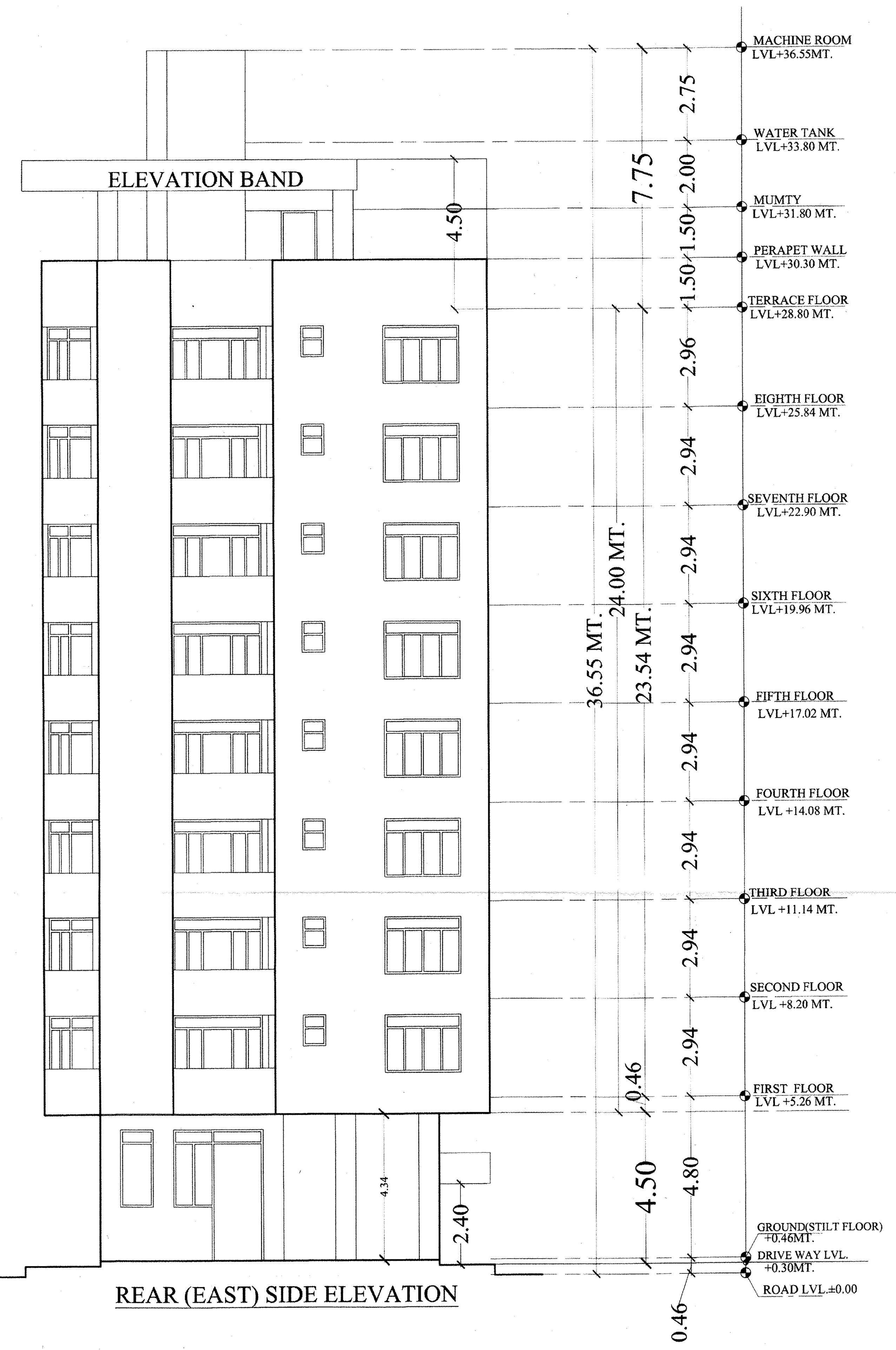

REAR (EAST) SIDE ELEVATION

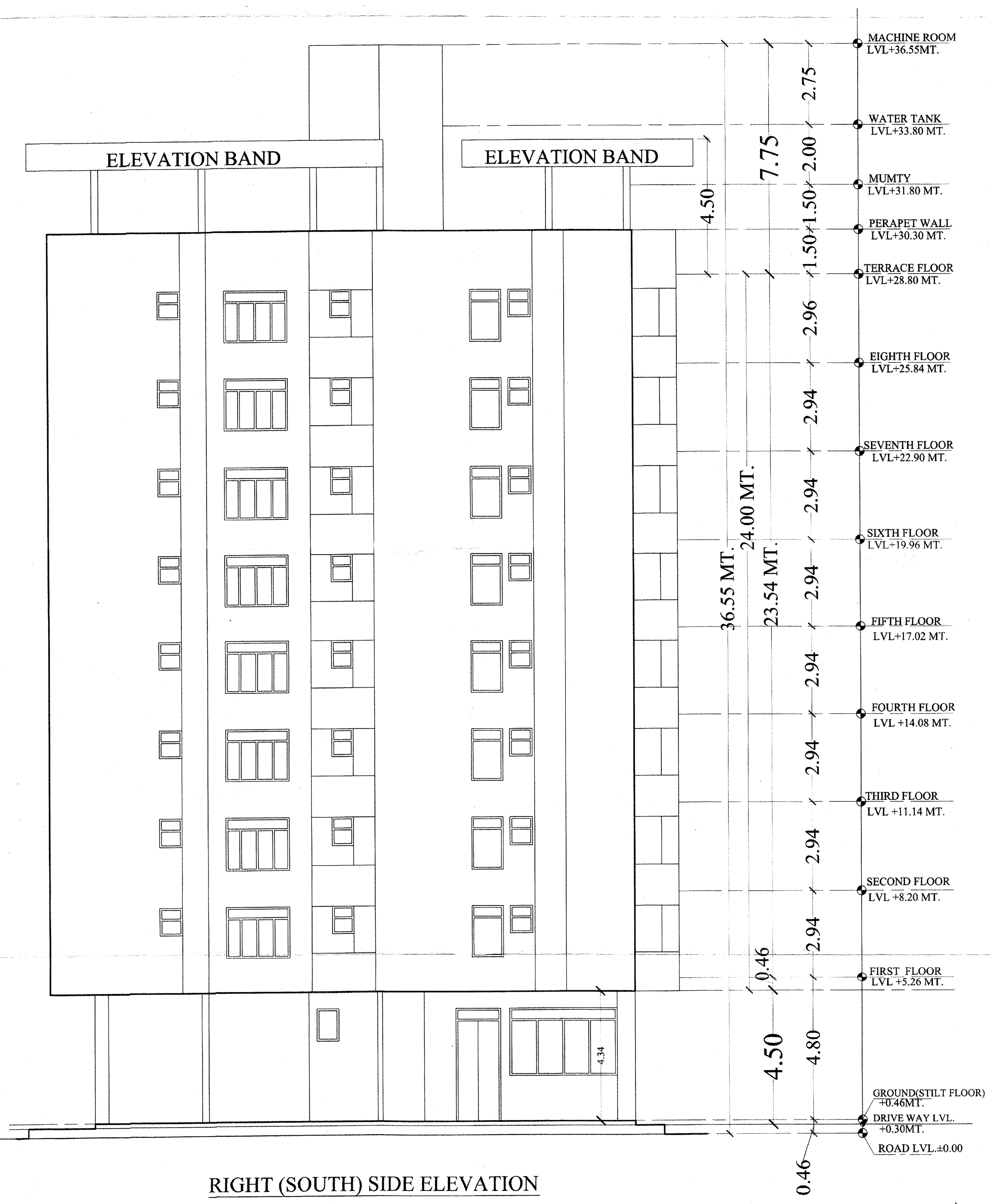

RIGHT (SOUTH) SIDE ELEVATION

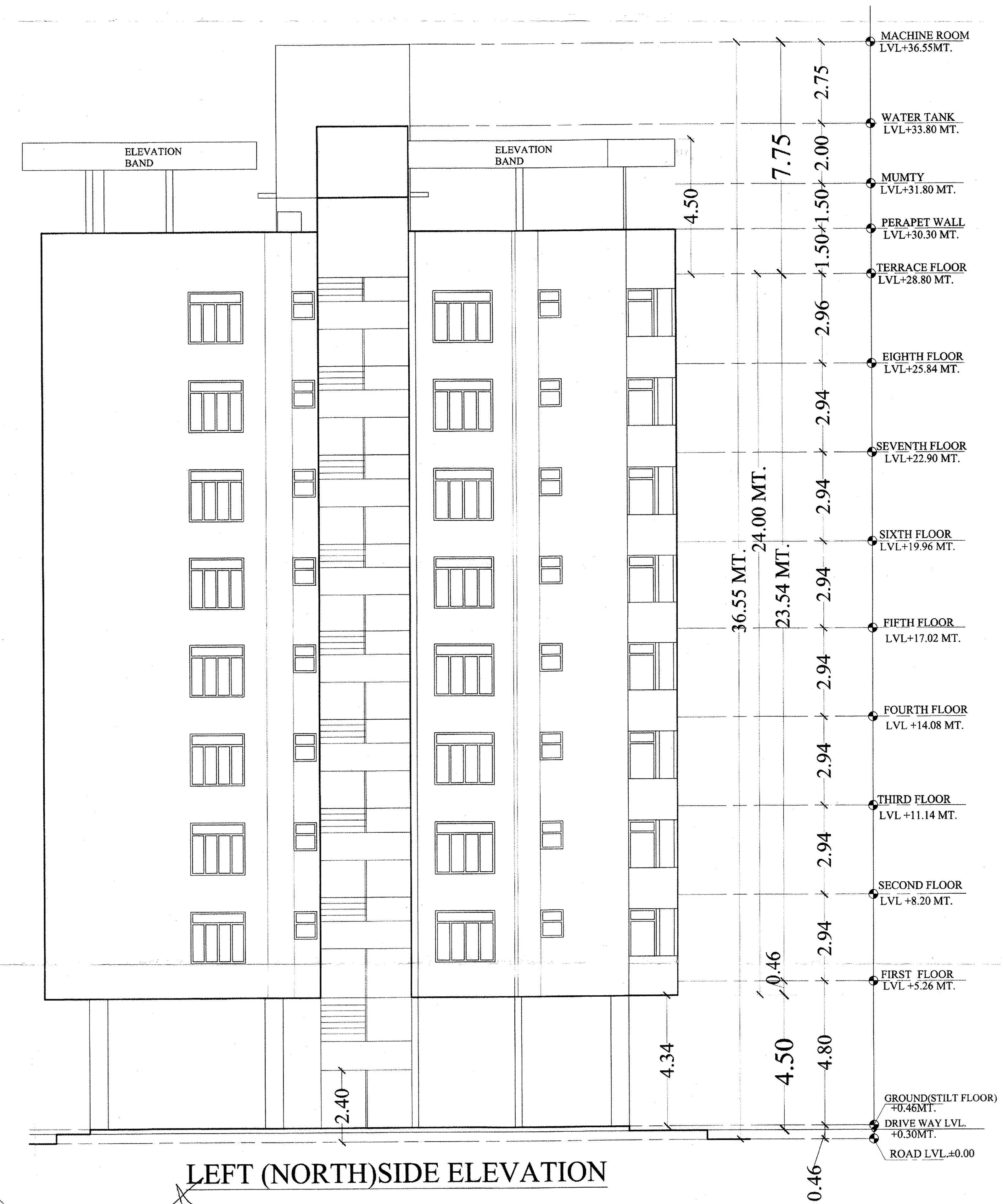

LEFT (NORTH)SIDE ELEVATION

DRAWING TITLE :-

ELEVATIONS

PROJECT TITLE :-

PROPOSED RESIDENTIAL APPARTMENT AT PLOT NO. 31 , KIRTI SAGAR -A , GRAM - BADARWAS , JAIPUR.

ideas
ARCHITECTURE | URBAN PLANNING | INTERIORS

124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227,2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER	ARCHITECT